P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-2* (Part-1) October- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भवन निर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों की स्थिति

सारांश

भवन निर्माण कार्य में लगे श्रमिक अधिकतर अशिक्षित या अल्पशिक्षित होते है। इनमें से अधिकांश प्रवासी होते है, जो काम की तलाश में अपने मूल स्थानों से आते है। इनके पास बहुत कम जमीन होती है या नही होती है, यह अकुशल भी होते है, इसलिए बेरोजगार होते है या कृषि श्रमिक के रूप में दूसरों के खेतों में या जहां काम काम मिल जाए वहां काम करते है। गांव में काम न मिलने की दशा में या कम मजदूरी होने के कारण यह शहरों की ओर पलायन करते है। अकुशल होने के कारण शहरों में इन्हें कारखानों या उद्योगों में काम नही मिलता तब वहां बड़े पैमाने पर हो रहे भवन निर्माण कार्यो में जहां बड़ी मात्रा में अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यह श्रमिक ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित हो जाते है।

मुख्य शब्दः भवन निर्माण, महिला श्रमिक, जनसंख्या, उद्योग, जीवन स्तर।

राजश्री शास्त्री
विभागाध्यक्ष,
समाजशास्त्र विभाग,
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान,
भोपाल

मयंक दीक्षित
शोध अध्येता,
समाजशास्त्र विभाग,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,
भोपाल

प्रस्तावना

देश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 92 प्रतिशत असंगठित श्रमिकों का है। संगठित श्रमिक जिनका अनुपात 8 प्रतिशत से भी कम है, इन्हें नियमित रोजगार, उपयुक्त एवं अनुकूल कार्यदशाएं तथा विभिन्न विकल्पों के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती रही है। वहीं असंगठित श्रमिकों के साथ रोजगार की अनिश्चितता, अत्यधिक दुरूह कार्यदशाएं, संगठन का अभाव होने के कारण शर्तो पर काम करने की निर्भरता व सामाजिक सुरक्षा सहित हर तरह का अभाव पर्याय के रूप में जुड़ा है। इस क्षेत्र के श्रमिक हर उन आवश्यक व मूलभूत सुरक्षा व सहायता से वंचित है जो न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने हेतु आवश्यक है। यह श्रमिक न केवल बिखरे हुए होते है अपितु रोजगार की तलाश में लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहते है। अनिश्चितता इनके जीवन में रोजगार के साथ प्रत्येक क्षेत्र में जुड़ी होती है– न रहने की निश्चितता न खाने की, न ही अगले पल के जीवन की, क्योंकि सुरक्षा के अभाव में काम करते हुए परिस्थितियां भी अनिश्चित होती है। इनमें से अधिकतम अनपढ़ व गरीब होने के कारण भोजन, कपड़े, आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताएँ भी पूर्णकर पाने में सक्षम नहीं होते।

इन असंगठित श्रमिकों में शामिल है,– गलियों में फेरी लगाकर सामान बेचनें वाले, छोटे दुकानदार, कारीगर, बुनकर, कुम्हार, छोटे एवं बहुत छोटे किसान, मछुआरे, मजदूरी करने वाले भवन निर्माण श्रमिक, खेतिहर मजदूर, घरेलू नौकर, रिक्शा चालक आदि।

अध्ययन का उद्देश्य

असंगठित क्षेत्र के भवन निर्माण कार्यों में महिला निर्माण श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक स्थिति के साथ ही कार्य स्थल व रहवासी स्थानों पर उनकी समस्याओं का अध्ययन करना। सरकार द्वारा प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का आकलन करना व उनकी स्थिति व प्रस्थिति में सुधार हेतु सुझाव देना।

कार्यशील जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या निम्नानुसार है–

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-2* (Part-1) October- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

मुख्य कार्यशील जनसंख्या – 2011

कुल ग्रामीण एवं शहरी	व्यक्ति महिला पुरूष	कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या	कृषक	कृषि श्रमिक	परिवारिक उद्योगों में कार्यरत	अन्य कार्यशील जनसंख्या
कुल	व्यक्ति	31574133	8214993	6630821	647565	7208740
	पुरूष	20146970	6038749	4027711	396320	5899985
	महिला	11427163	2176244	2603110	251245	1309455
ग्रामीण	व्यक्ति	24715198	7885302	6303841	348081	2192334
	पुरूष	14741977	5765124	3807102	198997	1716960
	महिला	9973221	2120178	2496739	149084	475374
शहरी	व्यक्ति	6858935	329691	326980	299484	5016406
	पुरूष	5404993	273625	220609	197323	4182325
	महिला	1453942	56066	106371	102161	834081

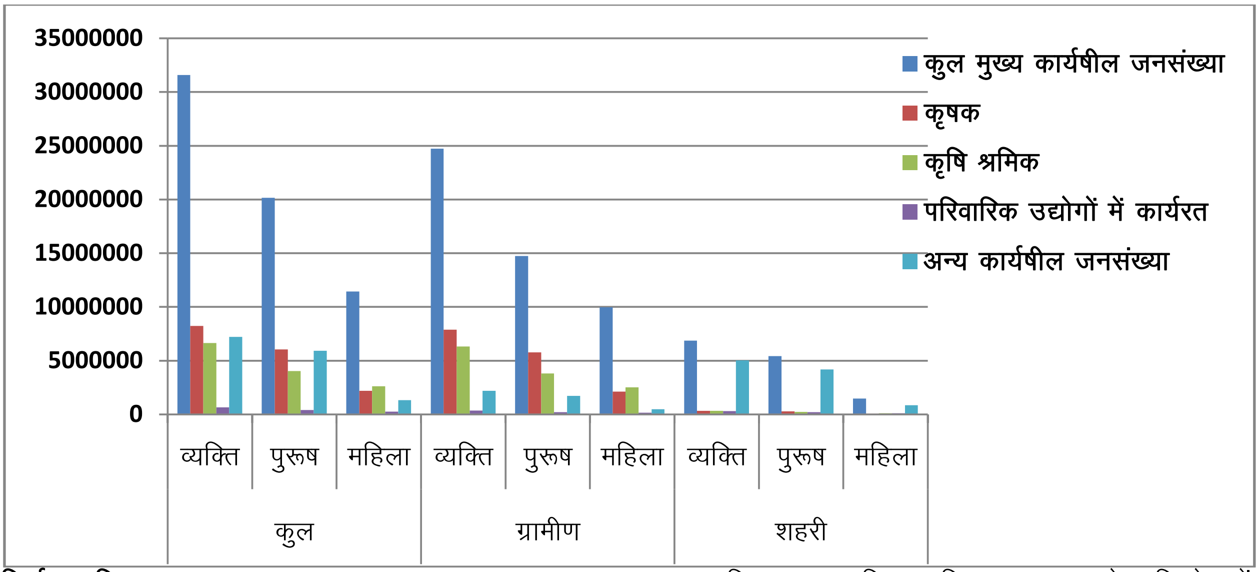

निर्माण श्रमिक

प्रायः यह श्रमिक गरीबी और बेरोजगारी के चलते परिवार सहित अपने मूल स्थान से पलायन करते है। गांव में रोजगार की कमी तथा कम जमीन होना या जमीन न होना इसका मुख्य कारण होता है। इसके साथ ही अशिक्षित या अल्पशिक्षित होने के साथ ही यह प्रायः कौशल विहीन होते या अकुशल होते हैं। निर्माण कार्यो में बहुताय में अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, काम मिलने पर पति–पत्नि दोनों ही कार्य करते है। काम करते–करते सीखते जाने या कुशल होते जाने पर पति मिस्त्री या अर्द्धकुशल श्रमिक बल जाता है लेकिन पत्नि अकुशल श्रमिक जिसे ''रेजा'' भी कहा जाता है, रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 48. 21 प्रतिशत था। महिला श्रमिक मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त महिला श्रमिक बीड़ी व अगरबत्ती निर्माण एवं भवन सम्बंधी संनिर्माण में अधिकतम रूप से कार्यरत है। निम्न तालिकाओं द्वारा प्रदेश में महिलाओं की संख्या, उनमें शिक्षित, ग्रामीण, नगरीय एवं कार्यशील महिलाओं की जानकारी दर्शाई गई है–

जनगणना 2011

	पुरूष	महिला	कुल
जनसंख्या	37612306	35014503	72626809
ग्रामीण	27149388	25408016	52557404
नगरीय	10462918	9606487	20069405

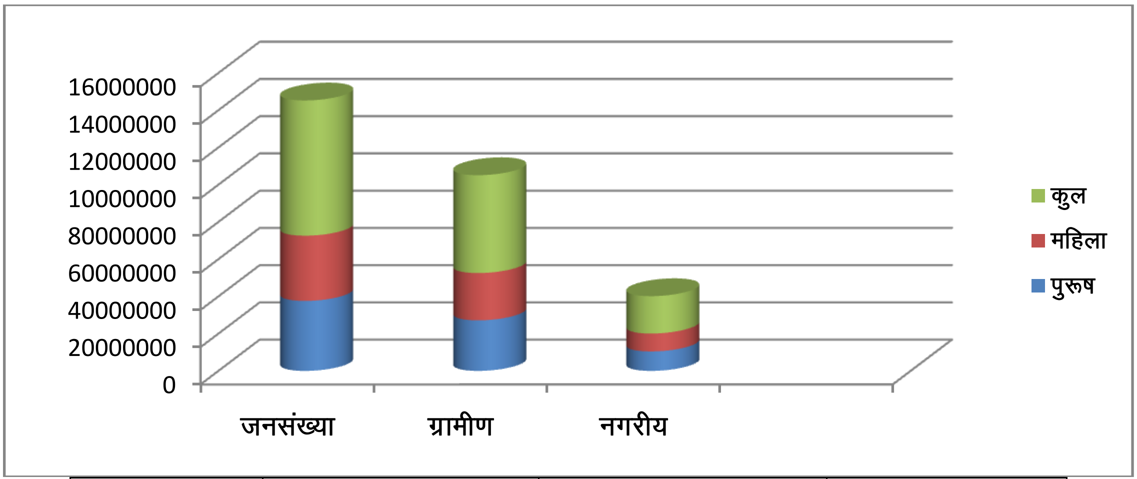

	पुरूष	महिला	कुल
शिक्षित	25174328	17676841	42851169
ग्रामीण	17054982	11227004	28281986
नगरीय	8119346	6449837	14569183

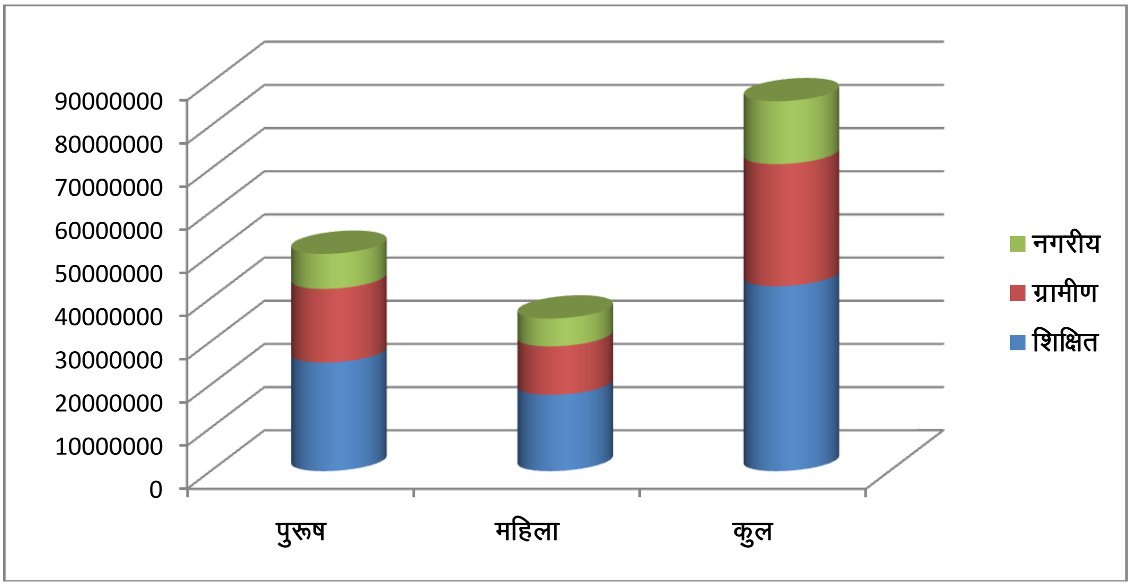

	ग्रामीण	नगरीय	कुल
दस वर्षीय जनसंख्या (2001–11) वृद्वि दर	–15.25	119.29	20.25
लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाएं)	936	918	931

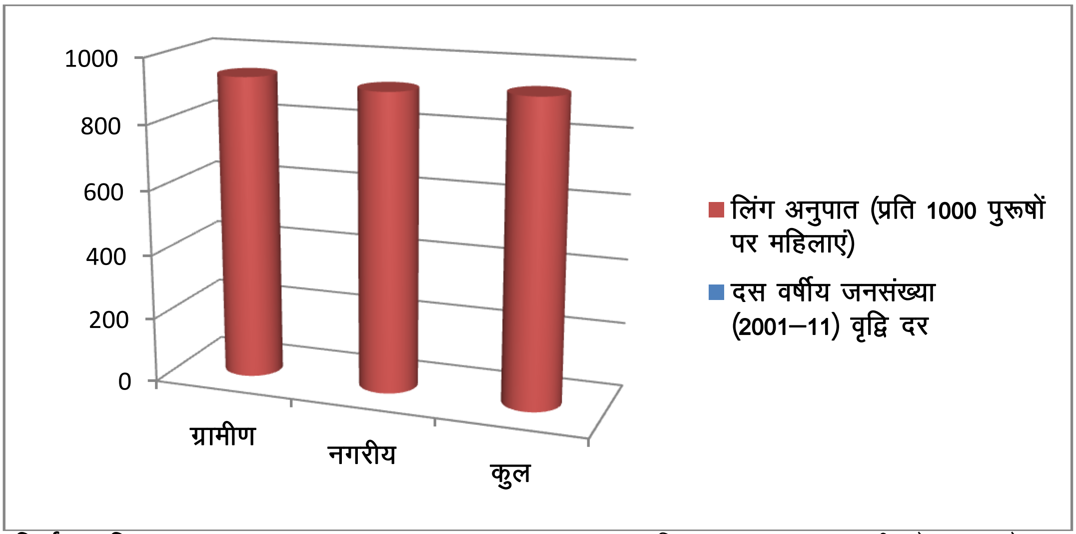

महिला निर्माण श्रमिक

प्रायः महिलाएं या तो अपने पति/परिवार के साथ काम की तलाश में आती है या गांव व परिवार के अन्य सदस्यों या रिश्तेदारों के साथ काम करने चली आती है। हर स्थिति में काम मिलना ठेकेदारों की मर्जी पर होता है, वही रोजगार और मजदूरी दर का निर्धारक होता है, निर्माण श्रमिक पूरी तरह से ठेकेदार पर निर्भर होता है। यही निर्भरता या मजबूरी उसके शोषण का कारण भी बनती है। महिलाओं की स्थिति इनमें अत्यधिक तकलीफ देह होती है, इनका शोषण विभिन्न प्रकार और स्तरों पर होने की सम्भावना बनी रहती है, जैसे–

रोजगार की तलाश व निर्भरता

रोजगार की तलाश में भटकते हुए काम की तलाश भवन निर्माण कार्य में ठेकेदार पर खत्म होती है, जो अपनी शर्तो पर काम देता है। यह शर्ते प्रायः श्रमिकों के हितों के अनुरूप नहीं होती है।

असमान मजदूरी

महिला श्रमिक को हमेशा अकुशल श्रमिक के रूप में रखा जाता है लेकिन समान कार्य में उन्हें पुरूषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, उन्हें शारीरिक रूप से अपेक्षाकृत कम क्षमतावान आंका जाता है।

शारीरिक शोषण

कार्य के दौरान स्त्रियों का अधिकांश समय निर्माण स्थल पर गुजरता है तथा अधिकांश निर्माण श्रमिक निर्माण स्थल पर ही अस्थाई झोपड़ी में निवास करते है, यहां ठेकेदार व साथी पुरूषों के द्वारा शारीरिक शोषण की संभावना बनी रहती है तथा कार्य पर रखने व मजदूरी देने की शर्तो पर विवश होकर समझौता करना पड़ता है।

मानसिक यंत्रणा

निर्माण कार्य में संलग्न महिला श्रमिकों को मर्यादा के चलते बहुत सी बाते मन में रखने की विवशता रहती है, फिर वह शरीर में चुभती आंखो की पीड़ा है या कार्य की अनिवार्यता के चलते शारीरिक निकटता। प्रायः निर्माण की शुरूआत में निर्माण स्थलों पर न तो प्रसाधान की सुविधा होती है न ही महिलाएं के लिए कोई आड़। ऐसी स्थिति में आवश्यक दैनिक क्रियाओं का निष्पादन भी अत्यधिक दबाव व मजबूरी में अनचाहे ढंग से करना पड़ता है।

असुरक्षा का भय

महिला श्रमिक को स्त्रित्व के कारण हमेशा ही भयग्रस्त माहौल में रहना पड़ता है। हमेशा पुरूषों के मध्य काम करते असुरक्षित महसूस करती है। मजबूरी में आवाज भी नही उठा सकती। महिला होने के कारण कई परिस्थितियाँ अनुकूल नही होती लेकिन मजबूरी में काम करना पड़ता है।

शारीरिक परिस्थितियां

महिलाओं को प्रकृति में पुरूषों की तुलना में दयावान, स्नेहिल, ममतामयी, संवेदनशील तथा कोमल माना जाता है। शारीरिक रूप से विशेष बनावट होने पुरूषों से भिन्न करती है। यही शारीरिक भिन्नता एवं भिन्नता के कारण परिस्थितिजन्य कार्य कई बार दैनिक कार्य की परिस्थितियों को जटिल बना देते है।

व्यवसायजन्य या अन्य बीमारियां

कार्य के दौरान अत्यधिक वजन उठाते या झुककर काम करते हुए या सिर पर वजन रखकर ऊपर जाने का शरीर पर भारी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त सामान्यतः खाने के अवकाश को छोड़कर बीच में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जाना नही हो पाता। यह दबाव लम्बे समय तक रहने के बाद बीमारियों को जन्म देते हैं।

भावनात्मक शोषण

कई बार गरीबी, मजबूरी या परिवार की स्थिति का फायदा भी दूसरों के द्वारा उठाया जाता है।

अशिक्षा के कारण शोषण

प्रायः महिला श्रमिकों में से अधिकांशतः अशिक्षित या अल्पशिक्षित होती है। ऐसें मजदूरी का हिसाब करना, अधिक कार्य की गणना और हफ्ते या 15 दिन या माह की मजदूरी की गणना करने में यह अक्षम होती है। कई बार इसका फायदा बिचौलियों या ठेकेदारों द्वारा उठाया जाता है।

महिला निर्माण श्रमिकों को उक्त शोषण की स्थिति के अतिरिक्त अन्य कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे गुजरना उनकी नियति होती है।

पारिवारिक जिम्मेदारियां

विवाहित महिला श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के कार्य के पूर्व व पश्चात पारिवारिक जिम्मेदारियों के तहत खाना बनाने से लेकर घर के विभिन्न कार्य संपादित करना होते है। बच्चे छोटे होने की दशा में उन्हें साथ लेकर कार्य पर जाती है तथा कार्यस्थल पर ही बच्चें भी रहते है। जहां उन्हें चोट लगने या दुर्घटना की संभावना सदैव बनी रहती है। कार्य के दौरान लगातार बच्चों की तरफ ध्यान लगा होता है और यदि बच्चे बड़े है, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और भी संवेदनशील स्थिति निर्मित होती है। कुल मिलाकर यह मानसिक दबाव व यंत्रणा अधिकतम स्त्रियों के हिस्से होती है।

यदि पति में कुल गलत आदते है, तो आर्थिक तंगी के कारण परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है, इसके फलस्वरूप घर में कलह होने लगती है जो कई बार शारीरिक मारपीट (यंत्रणा) और झगड़े के रूप में बाहर आती है। इसका दुष्प्रभावन न केवल बच्चों पर अपितु संपूर्ण परिवार पर पड़ता है। यहां विशेष बात यह है कि स्त्री की मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक स्थिति की ओर कोई ध्यान नही देता। चाहे वह बीमार हो, उदास हो, तकलीफ में हो, बच्चों को लेकर चिन्तित हो या कोई अन्य परिस्थितियजन्य कारण हो, वह अपने कर्त्तव्यों का पालन सदैव बिना किसी अवकाश के निरंतर करती है। लगातार अनिश्चित श्रम व दबावों के मध्य कर्म करते–करते वह बीमारियों का शिकार हो जाती है, लेकिन जब तक पूरी तरह से वह काम के अयोग्य न हो जाए, वह अपनी परवाह किए बिना लगातार कार्य करती रहती है और कभी स्थानीय नीम हमीम या निकटस्थ सरकारी अस्पताल से उसका इलाज होता है। बीमारी की अवस्था में भी उसका कर्त्तव्यपालन जारी रहता है।

सामाजिक परिस्थितियां

प्रायः निर्माण श्रमिक या तो निर्माण स्थल पर अस्थाई आवास बनाकर उनमें निवास करते है या फिर शहरों की झुग्गी बस्तियों में झोपड़ी बनाकर। इन बस्तियों में इन्हीं के जैसे परिवार जिनमें प्रायः किसी क्षेत्र विशेष के लोग एक साथ रहा करते है। निम्न स्तरीय समाज के विभिन्न दबाव इन परिवारों पर करते रहते हैं। बस्ती के अधिकांश लोग अशिक्षित होते है। प्रायः पति –पत्नि दोनों कार्य करते है । ऐसी स्थिति में अधिकांश बच्चे भी स्कूल नही जाते और वे भी या तो अशिक्षित रह जाते है या अल्पशिक्षित होकर शिक्षा छोड़ देते है। यहां इन परिस्थितियों में स्त्री भारी सामाजिक बंधनों व दबावों में जीवन यापन करती है तथा पुरूषों के दबाव तले समाज में महिला ही महिला की दुश्मन होती है। यदि कोई महिला स्वयं या अपने बच्चों विशेषकर बेटियों को शिक्षित करना चाहे तो उसे भारी दबाव व विरोध का सामना करना पड़ता है। यद्यपि आजकल स्थिति बदल रही है। अब अधिकांश बच्चें विद्यालय जा रहे है तथा शिक्षा का महत्व सबको समझ में आ रहा है, लेकिन माताएं अभी भी अधिकांशतः अशिक्षित है। इस अशिक्षा के कारण कई बार विभिन्न योजनाओं/राशन कार्ड/ मजदूरी कार्य या कोई अन्य शासकीय योजना का लाभ के नाम पर प्रायः बिचौलियों या दलालों द्वारा इन्हें मूर्ख बना कर पैसे ऐंठ लिए जाते है। अशिक्षित या जानकारी न होने के कारण यह आसानी से दूसरों के कहने में आ जाते है।

महिलाओं के लिये विशेष वैधानिक प्रावधान

महिला श्रमिकों को सभी श्रम कानूनों में पुरूष श्रमिकों की भांति ही संरक्षण दिया गया है, किंतु उनकी विशिष्ठ आवश्यकताओं को देखते हुये समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 विशेष रूप से प्रभावशील किये गये है। समान पारिश्रमिक अधिनियम और मातृत्व हितलाभ अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

1. समान कार्य के लिए लिंग भेद के आधार पर महिला कर्मियों को पुरूषों से कम मजदूरी का भुगतान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात् महिलाओं को भी पुरूष श्रमिकों के समान ही प्रकृति के कार्य के लिए समान मजदूरी का भुगान का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है।
2. रोजगार में भर्ती करने के लिये लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नही किया जा सकता है। भर्ती में नियोजकों को पुरूषों के बराबर ही महिलाओं को भी अवसर देना आवश्यक है।
3. महिलाओं को नियोजन में बराबरी के अवसर दिये जाने के साथ ही उनके लिये प्रशिक्षण एवं स्थानांतर के संबंध में भी लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नही किया जा सकता है।
4. महिलाओं के लिये रोजगार में वृद्धि करने के उपाय खोजने हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन प्रदेश शासन द्वारा किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में जांच कर शासन को यह परामर्श दे सकती है, कि किन–किन क्षेत्रों में महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते है।

मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 एवं संशोधन अधिनियम 2017

यह अधिनियम सभी ऐसे संस्थानों में प्रभावशील है, जहां दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है। वर्ष में 80 दिवस कार्य करने वाली महिला कर्मचारी को मातृत्व हितलाभ की पात्रता आती है।

मातृत्व हितलाभ अधिनियम में हाल ही में निम्नानुसार संशोधन किये तथा उनकी सुविधाओं में वृद्धि की गई है।

1. प्रसूति अवकाश की सीमा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह की गयी है।
2. 50 से अधिक कर्मचारी नियोजन करने वाले संस्थानों में झूलाघर की सुविधा।
3. दत्तक पुत्री/पुत्री को ग्रहण करने संबंधी सरोगेसी मदर्स को 12 सप्ताह के अवकाश की सुविधा।
4. नियोक्ता की सहमति से घर से कार्य करने की सुविधा।

महिला निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्तो का विनिमयन) अधिनियम,1996 के तहत भवन निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकारों को एक कल्याण

मण्डल का गठन किया जाना है जिसके माध्यम से भवन निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी के चलते मध्यप्रदेश में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन 10 अप्रैल 2003 को किया गया। मण्डल द्वारा भवन निर्माण श्रमिकों के लिए 22 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन किया जाता है। वर्ष 2017 दिसंबर तक कुल 1013731 श्रमिकों को पंजीकृत कर हितलाभ हेतु अर्हता प्रदान की गई।

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा महिला श्रमिकों के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाएं–

1. विवाह सहायता योजना
2. प्रसूती सहायता योजना

मध्यप्रदेश में गत 15 वर्षो में महिला श्रमिकों से संबंधित दिए गए लाभ

वर्षावधि		प्रसूति सहायता योजना	विवाह सहायता
वर्ष 2005–2006	हितग्राही संख्या	185	
	प्रदत्त हितलाभ	650110	
वर्ष 2006–2007	हितग्राही संख्या	713	505
	प्रदत्त हितलाभ	2665517	5131740
वर्ष 2007–2008	हितग्राही संख्या	484	5062
	प्रदत्त हितलाभ	1734569	46269260
वर्ष 2008–2009	हितग्राही संख्या	1168	2552
	प्रदत्त हितलाभ	7849104	18100500
वर्ष 2009–2010	हितग्राही संख्या	18700	3398
	प्रदत्त हितलाभ	80851525	24273375

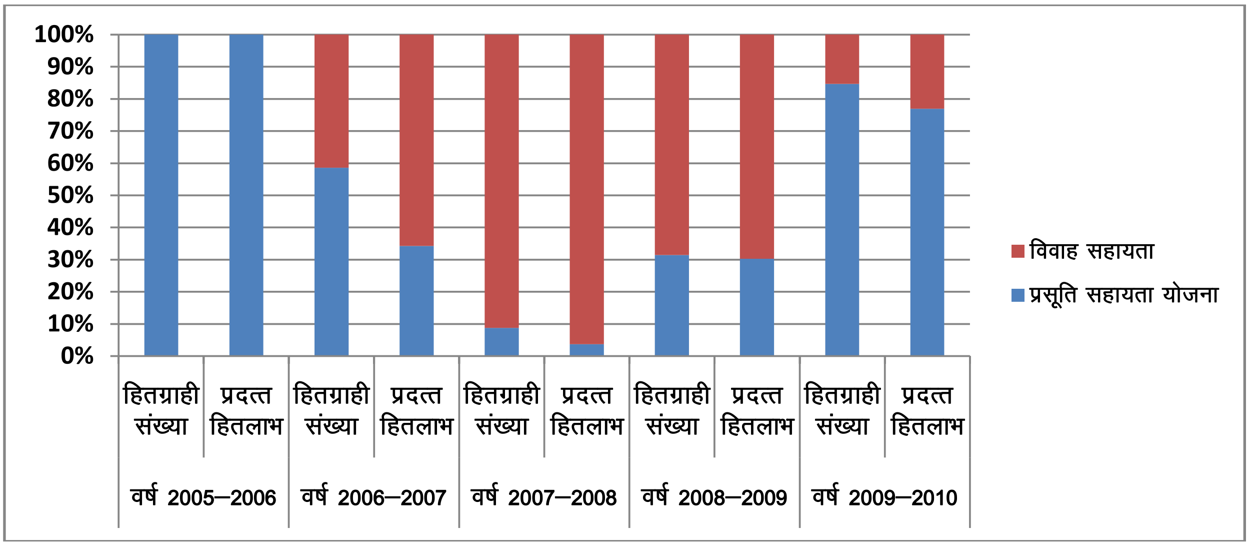

वर्षावधि		प्रसूति सहायता योजना	विवाह सहायता
वर्ष 2010–2011	हितग्राही संख्या	27318	7846
	प्रदत्त हितलाभ	143841874	43489500
वर्ष 2011–2012	हितग्राही संख्या	53143	7027
	प्रदत्त हितलाभ	278130344	45202920
वर्ष 2012–2013	हितग्राही संख्या	65634	9930
	प्रदत्त हितलाभ	353815300	99973784
वर्ष 2013–2014	हितग्राही संख्या	44097	13586
	प्रदत्त हितलाभ	240591728	185946079
वर्ष 2014–2015	हितग्राही संख्या	19731	9531
	प्रदत्त हितलाभ	91473771	145644205

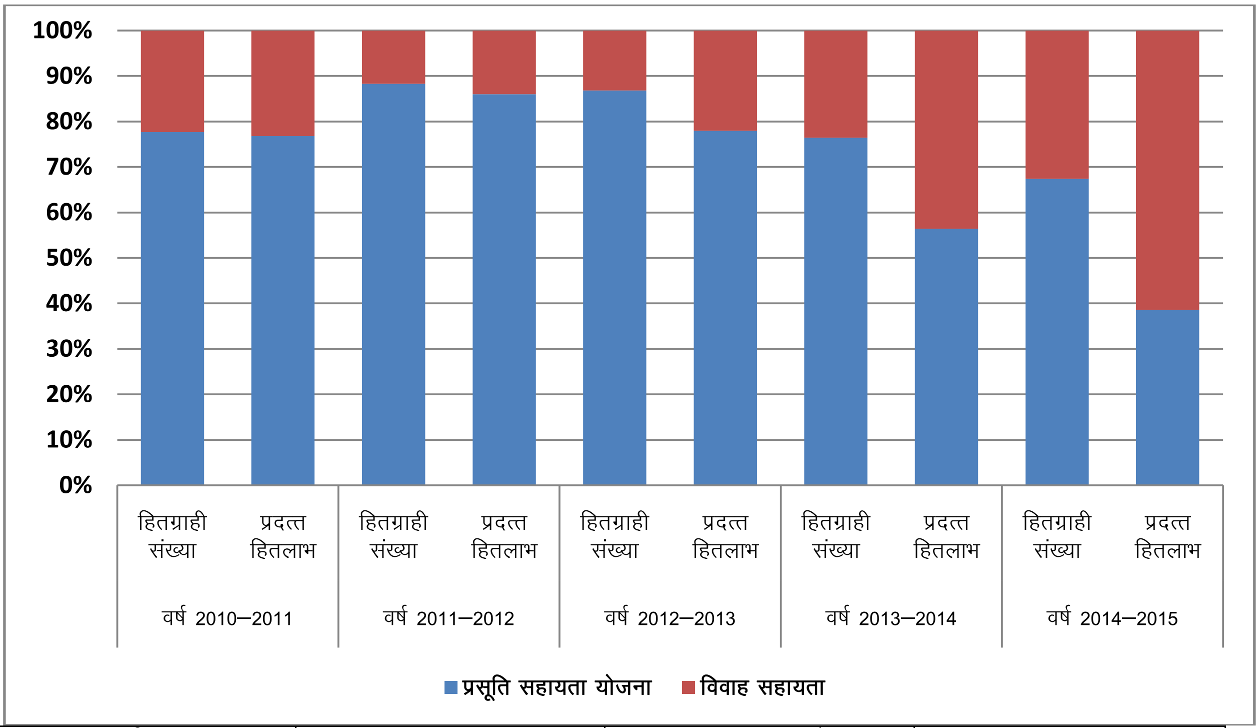

वर्षावधि		प्रसूति सहायता योजना	विवाह सहायता
वर्ष 2015–2016	हितग्राही संख्या	22408	12275
	प्रदत्त हितलाभ	138311471	252848950
वर्ष 2016–2017	हितग्राही संख्या	28575	15922
	प्रदत्त हितलाभ	279588223	403647341
वर्ष 2017–2018	हितग्राही संख्या	25564	25414
	प्रदत्त हितलाभ	297062124	641209420
वर्ष 2018–2019	हितग्राही संख्या	811	542
	प्रदत्त हितलाभ	7653562	13360000
प्रारंभ से अब तक	हितग्राही संख्या	308420	113519
	प्रदत्त हितलाभ	1924219222	1923315552

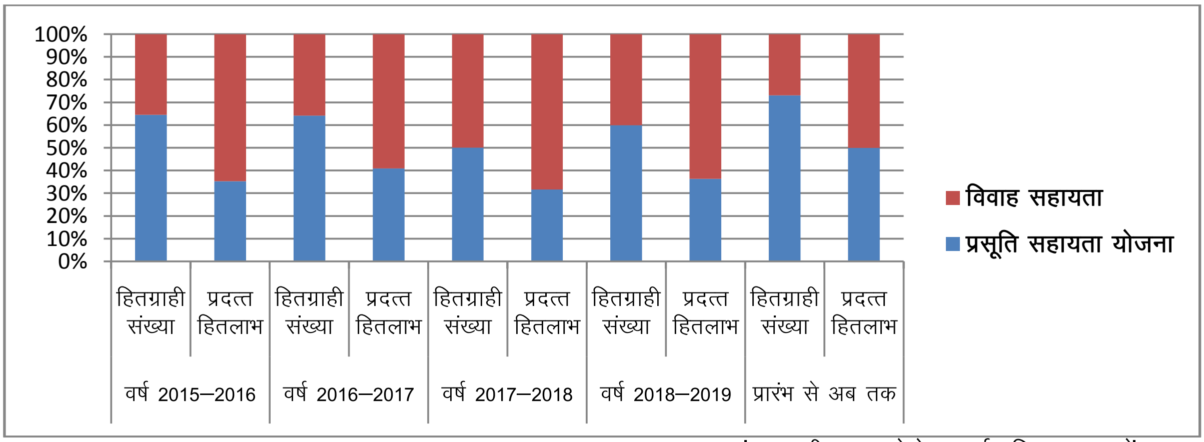

उपाय

1. शिक्षा– सामान्यतः श्रमिक परिवार की महिलाओं का शिक्षा का स्तर अत्यधिक निम्न होता है। शिक्षा की इस कमी के कारण इनमें सामान्य ज्ञान का भी अपेक्षित स्तर नहीं होता। ऐसी स्थिति मे प्रौढ़ शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा की, जो उनकी बस्तियों में, आंगनबाड़ी या ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जहां आसानी से उनकी पहुंच से की व्यवस्था शाम को और अवकाश के दिन की जा सकती है। यह शिक्षा रोचक और पूर्णतः अनौपचारिक इस तरह से होना चाहिये जिसमें महिलाएं उत्साह के भाग लें।

2. कौशल विकास– वर्तमान में लगभग सभी क्षेत्र में महिलाएं हर स्तर पर कार्यरत है जो क्षेत्र पुरूषों के लिए ही होना माना जाता है, वहां भी महिलाएं न केवल कार्यरत है अपितु अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण दक्षता से निभा रही हैं। वे हवाई जहाज की पायलट भी है। अंतरिक्ष में भी कदम रख रही है, तो ऑटो रिक्शा व टैक्सी ड्राईवर भी है। सिर्फ निर्माण क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है, जहां महिलाएं अकुशल श्रमिक के रूप में पुरूष कारीगरों की सहायक के रूप में कार्यरत है। शायद शारीरिक रूप से या योग्यता में पुरूषों की तुलना में कमतर आंका जाकर उन्हें कभी भी अन्य जिम्मेदारी नही मिली। लेकिन यदि महिला श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएं तो यही महिलाएं कारीगर मिस्त्री और अन्य कार्यो को ज्यादा कुशलता पूर्वक कर पाएगी और इसका सकारात्मक प्रभाव इनके आत्मसम्मान के साथ इनकी आय पर भी होगा और अंततः जीवन स्तर, पारिवारिक स्तर व सामाजिक प्रस्थिति में भी वृद्धि होगी।
3. निर्माण स्थलों पर निरंतर व गंभीर निरीक्षण व निगरानी–निर्माण स्थलों पर श्रमिकों से संबंधित कानूनों का निरंतर व कड़ाई से पालन करने हेतु प्रभावी निरीक्षण कियं जाते रहना चाहिए।
4. जागरूकता – अशिक्षा या अल्प शिक्षा का सीधा प्रभाव जागरूकता व सामान्य जीवन की जानकारियों पर पड़ता हैं। उक्त कारणों से इन महिलाओं को न तो मूलभूत सुविधाओं की जानकारी होती है और न ही शासन की कल्याणकारी योजनाओं की। इसको सिर्फ बस्तियों के लोगो के मुख से अधकचरी जानकारी प्राप्त होती है। इसका फायदा बिचौलियों द्वारा उठाया जाता है और वे इनसे कार्य कराने के नाम पर पैसे ऐंठ लेते है। बेबसी में यह कुछ नही कर पाते । इसके लिए निर्माण कार्यस्थलों व इनके रहवासी स्थानों पर लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए। यह जागरूकता कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किये जाने चाहिए, जिन्हें यह आसानी से समझ सकें। इसमें दृष्य–श्रव्य माध्यमों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ठेकेदारों व प्रबंधन पक्ष के जिम्मेदार अधिकारियों के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम संचालन व प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
5. कानून, योजनाओं व शिकायत सम्बन्धी सूचना का प्रदर्शन– कार्यस्थलो पर सुस्पष्ट व समझने योग्य भाषा में श्रमिकों से संबंधित कानून के प्रमुख प्रावधानों, कल्याणकारी योजनाओं तथा शिकायत किये जाने हेतु सम्पर्क सूत्रों व सूचनाओं का प्रदर्शन इस तरह किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए, जिससे कानूनी प्रावधानों के पालन, योजनाओं के लाभ प्राप्ति हेतु तरीका व माध्यम सहजता से ज्ञात हो सकें। इसी प्रकार किसी शिकायत की स्थिति में निर्माण स्थल पर प्रशासन में किससे, कहां व कैसे सम्पर्क किया जा सकता है, यह भी सुस्पष्ट व सहगोचर तरीके से प्रदर्शित होना चाहिए। श्रमिकों के लिए उक्त आशय के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समय–समय पर आयोजित होना चाहिये।
6. नियमित स्वास्थ्य परीक्षण (महिला चिकित्सक द्वारा)– निश्चित समयांतराल पर निर्माण स्थल व रहवास स्थलों पर श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परिक्षण होना चाहिए तथा परीक्षण रिपोर्ट की नियमित निगरानी की जानी चाहिए। इसमें महिला चिकित्सक आवश्यक होना चाहिए। व्यवसायजन्य व अन्य कारणों से होने वाली बीमारियों को निगरानी कर समय पर उससे छुटकारा पाया जा सकता है तथा उन कारणों को पता कर दूर किया जा सकता है, जो इसके लिए उत्तरदायी है।
7. सुरक्षित वातावरण निर्माण – निर्माण स्थल व श्रमिकों के रहने के स्थान का वातावरण इस प्रकार होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सुरक्षित महसूस करते हुए श्रमिक अपने परिवार के साथ जीवन–यापन तथा अपने कर्तव्य का पालन कर सकें।

निष्कर्ष

आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता से शीर्ष स्थानों पर पदस्थ है शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता प्रदान कर महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। ऐसा क्यो है कि निर्माण क्षेत्र में महिलाएं सिर्फ अकुशल श्रमिक के रूप में पुरूष श्रमिकों की सहायक बनी हुई है ? यदि अन्य क्षेत्रों में महिलाएं पुरूषों के बराबर या उनसे ऊपर पदस्थ हो सकती है तो निर्माण क्षेत्र में क्यों नही ! निर्माण क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को उसी क्षेत्र में प्रशिक्षित कर मिस्त्री या कुशल कारीगर बनाया जा सकता है। शिक्षित कर एकाउंटस का काम दिया जा सकता है। तकनीकी दक्षता की व्यवस्था कर उनसे तकनीकी कार्य लिया जा सकता है। अतः महिला निर्माण श्रमिकों की स्थिति में बदलाव लाने के लिए सरकार, एन.जी.ओ.,व निर्माण एजेंसियों को आगे आना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *वार्षिक प्रतिवेदन म.प्र. शासन श्रम विभाग 2017–18।*
2. *वार्षिक प्रतिवेदन म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल 2017–18।*
3. *औद्योगिक एवं श्रम कानून–– डॉ सरकार बासुदेव, अपर्णा पब्लिकेशंस*
4. *समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976–– बंगिया जे डी, सुविधा लॉ हाउस , भोपाल*
5. *मातृत्व हित लाभ अधिनियम ,1961–– बंगिया जे डी, सुविधा लॉ हाउस, भोपाल*
6. *वार्षिक प्रतिवेदन, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग 2016–2017*
7. *वार्षिक प्रतिवेदन, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल 2016–17*
8. *इंडस्ट्रियल लॉ–मलिक पी एल , ईस्टर्न बुक कंपनी ,लखनऊ*
9. *श्रम विधान–वी वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा*
10. *लेबर एंड डेवलपमेंट–वी वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान , नोएडा*
11. *इंटरनेट।*